

कच के अधिकारी

सेवा में,
श्रीमान अंचल अधिकारी

वेरमा, बीकानेर (आरक्षण)

विषय :- अतिक्रमन मुक्त करने के संबंध में

महाराज, सविनय पूर्वक कहना है कि मैं
बबलु कुमार सिंह पिता उदय सिंह
पत्नी दमोदर नगर हिन्दुस्तान पुल
का निवासी हूँ। श्रीमान कार्यालय
से खाता सं. 131 एंनॉर नं. 3189
से संबंधित नोटिस प्राप्त हुआ था
जो अतिक्रमन मुक्त करने के संबंधित
है।





अतः श्रीमान खाता नं. 131 एंनॉर
नं. 3189 उक्त मुखपत्र को मेरे द्वारा
अतिक्रमन से मुक्त कर दिया गया है
अतः लिखित आज दिनांक 21/07/2023 को
श्रीमान के समक्ष दे रहा हूँ।

प्रार
21/7/23

आपका निवासी
बबलु कुमार सिंह

पत्नी - दमोदर नगर हिन्दुस्तान
पुल

दिनांक . 21/07/2023

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी सहित
04/07/23	<p>अतिक्रमण अभिलेख सं०- 03/2023-24</p> <p>आवेदक मो० फैजान, ग्राम-पटेल नगर, पो०-फुसरो, थाना-बेरमो, जिला-बोकारो के द्वारा (प्रथम पक्ष) आवेदित किया गया है कि मौजा-ढोरी, थाना नं०-68 खाता नं०-131 प्लॉट सं०-3189 भूमि पर बबलु कुमार सिंह पिता-उदय सिंह, ग्राम-दामोदर नगर हिन्दुस्तान पुल (द्वितीय पक्ष) के द्वारा उक्त भूमि पर चाहरदिवारी देकर अतिक्रमण किया गया है।</p> <p>झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम XV वर्ष 1956) की धारा 2 की उप-धारा (2) के तहत (द्वितीय पक्ष) को नोटिस निर्गत करें एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 19/07/23 को उपस्थापित करें।</p> <p> अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)</p>	
19/07/23	<p>अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त है अभिलेख में संलग्न है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित पाये गये।</p> <p>अभिलेख दिनांक 21/07/23 को उपस्थापित करें।</p> <p> अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)</p>	
21/07/23	<p>अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित हुये। इन्होंने आवेदित किये है कि मेरे द्वारा मौजा-ढोरी, थाना नं०-68 खाता नं०-131 प्लॉट सं०-3189 पर चाहरदिवारी काम बंद कर दिया गया है एवं उक्त भू-खण्ड को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है। राजस्व उप निरीक्षक सह प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा भी उस आशय का प्रतिवेदित किया गया है कि अतिक्रमणकारी के द्वारा उक्त भू-खण्ड को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p> अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)</p> <p> अंचल अधिकारी, बेरमो (बोकारो)</p>	